82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0 के0 सिंह**
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–1069–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–02–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक–03/अपील/2015–16.

1–सबलसिंह पुत्र श्री जाहर सिंह
2–विजय सिंह पुत्र श्री रामसिंह
3– दधिबल सिंह पुत्र श्री रामसिंह
4–सरोवरसिंह पुत्र श्री जाहर सिंह
5– अरूणसिंह पुत्र श्री रामेद्र सिंह
6– शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरोवर सिंह
7– जितेनद्रसिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह
निवासीगण ग्राम गढ़ा तहसील अटेर
जिला भिण्ड म0प्र0 ——— अपीलांटस

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– रामकुमार दुबे पुत्र गेंदालाल दुबे
3– रामगोपाल पुत्र साहब दत्त तिवारी
4– ब्रजेश शर्मा पुत्र गंगाधर शर्मा
5– राधेश्याम पुत्र श्री ब्रम्हदत्त शुक्ला
6– राजकुमार पुत्र राजाराम हरदैनिया
निवासीगण ग्राम गढ़ा तहसील अटेर
जिला भिण्ड म0प्र0 ——— रिस्पाण्डेन्टस

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित ,अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8-7-2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–02–2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसील अटेर के ग्राम गड़ा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 331, 602, 337, 604, 606, 583, एवं 584 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी रिस्पाण्डैन्टस् हैं , के द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड को इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि बन्दोबस्त के पूर्व रिस्पा0 की भूमि स्वामित्व की भूमियों में से कोई रास्ता नहीं था, बन्दोबस्त के बाद भूमि में से रकवा कम करके रास्ता कायम कर दिया गया है एंव नक्शे में रास्ता बना दिया गया है, तद्नुसार सुधार किया जावे। इस आवेदन पत्र पर कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण कमांक 50/अ–74/14–15 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 15.9.15 से रिस्पा0 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील क्रमांक 03/अपील/ 2015–16 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 11–02–2016 से कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश निरस्त कर अपीलांटस की अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलांट्स के अधिवक्ता का तर्क है कि रिस्पा0 द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष धारा 89 एवं 107 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अधीक्षक भू–अभिलेख से जांच कराकर आवेदन निरस्त किया गया है । उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि ग्राम गड़ा स्थित अपने स्वामित्व के सर्वे कमांक 331, 604, 337, 606, 583, 584 में बंदोबस्त के समय रास्ता निकाला गया तथा उनके स्वामित्व की भूमि का रकवा कम कर दिये जाने से बंदोबस्त पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का गलत आग्रह किया गया है। अपीलांटस के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एस.एल.आर. द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.4.15 का अवलोकन किये बगैर दिनांक 11.2.16 को आदेश पारित करते हुये कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये नक्शे में बदोवस्त के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश पारित किये गये , वह न्यायसंगत नहीं है। रिस्पाडैन्टस द्वारा पूर्व में कभी भी तत्समय कोई आपत्ति नहीं की गई। रिस्पाण्डेन्टस द्वारा नक्शा सुधार का जो आवेदन दिया गया है वह लम्बे समय वाद प्रस्तुत किया है , जो अवधि वाधित है।

उन्होंने यह भी बताया कि अपर आयुक्त के आदेश की आड़ में रिस्पा0 ने मौके पर आमरास्ते को दीवाल बनाकर रोक दिया गया है जिसके कारण मौके पर ग्रामीणों में झगढ़ा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने तर्को में बताया कि कलेक्टर भिण्ड द्वारा वास्तविक स्थिति अनुसार तथा अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा मौके पर की गई गलत पैमाइस के आधार पर मांग आवेदन निरस्त किया है रेस्पो0 के रकवे में कमी वेसी पाने के कारण अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार कर बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति कायम करने के सही आदेश दिये है। उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग रखी।

4– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर वस्तुस्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि की अधीक्षक भू–अभिलेख जिला भिण्ड ने मौके पर जांच की है तथा विवादित भूमि की भौतिक रूप से नप्ती करके वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया है। अधीक्षक भू– अभिलेख का प्रतिवेदन कलेक्टर के प्रकरण कमांक 50/अ–74/ 14–15 में पृष्ठ 26 पर संलग्न है। प्रतिवेदन दिनांक 20.4.15 के अनुसार ग्राम गड़ा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 331, 602, 337, 604, 606, 583, एवं 584 की रकवा बरारी करने पर इन सर्वे नम्बरों के बीच में रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग कृषको द्वारा अपने मकानों एवं खेतों तक आने जाने के लिये किया जा रहा है। बंदोवस्त के पूर्व के नक्शे एवं नवीन नक्शे में अंकित उक्त सर्वे नम्बरों का रकवा बरारी करने पर रेस्पो0 के आराजी नम्बरान के रकवा में कमी होना नहीं पाया गया तथा मौके पर रास्ता बना हुआ पाया गया। प्रतिवेदन दिनांक 20.4.15 के अंत में सुझाव दिया गया है कि रेस्पो0 के स्वामित्व की आराजी नम्बरान के रकवा में कमी नहीं होती है तथा रास्ते का उपयोग कृषकों द्वारा आवागमन के लिये किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये रास्ता यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। नक्शे में रास्ता कायम किये जाने से रिस्पा0 ने खाते का रकवा कम किया जाना बताया है, जबकि मौके पर भूमि यथावत है । रेस्पो0 के स्वामित्व की भूमि में मौके पर कमी–वेशी नहीं है। म0प्र0 भू–राजस्व 1959 की धारा 57 के अन्तर्गत समस्त भूमियां राज्य

शासन की हैं रास्ता सार्वजनिक सुखाचार के लिये पूर्व से कायम है । अतः रेस्पो0 सार्वजनिक सुखाचार की भूमि को निजी भूमि में तबदील करने अथवा सम्मिलित करने की मांग नहीं कर सकते । कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15.9.15 से रेस्पो0 की अनुचित मांग अस्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, इसके विपरीत अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना द्वारा प्र0क0 3/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.2.2016 में वास्तविक तथ्यों की अनदेखी करते हुये कलेक्टर के प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत निर्णय दिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना द्वारा प्र0क0 3/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.2.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, एवं कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 50/14–15/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 15.9.15 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है तथा कलेक्टर भिण्ड को निर्देश दिये जाते हैं यदि मौके पर दीवाल बनाकर अथवा अन्य साधनों से सार्वजनिक हित का रास्ता अवरूद्व किया गया है, सार्वजनिक हित में नियमानुसार रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही अमल में लावें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर